

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—माघ 2, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (11).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच-(02) दिनांक 02-01-2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, शब्द और अंक “रुपए 2/- प्रति लीटर” के स्थान पर, शब्द और अंक “रुपए 3/- प्रति लीटर” प्रतिस्थापित किये जाएं; और

(दो) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, शब्द और अंक “पैसा 50 प्रति लीटर” के स्थान पर, शब्द और अंक “रुपया 1 और पैसा 50 प्रति लीटर” प्रतिस्थापित किये जाएं.

2. ये संशोधन दिनांक 23-01-2016 से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (11) दिनांक 22 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 22nd January 2016

No. F-A-3-60-2015-1-V-(11).—In cexercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments is this department's Notification No. F-A-3-60-2015-1-V-(02) dated 02-01-2016, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, in column (3),—

- (i) against serial number 1, for the words and figure “Rupees 2/- per liter”, the words and figure “Rupees 3/- per liter” shall be substituted; and
  - (ii) against serial number 2, for the words and figure “Paise 50 per liter”, the words and figures “Rupee 1/- and paise 50 per liter” shall be substituted.
2. These amendments shall come into force from 23-01-2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
DIPALI RASTOGI, Secy.